

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर अर्पणित अर्पणित का विवरण

क्र०	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड परित किया गया	दण्ड परित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	परित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा चाल की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	परित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	राज्य कर विभाग, मुरादाबाद जेन, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11-07-2018	₹0 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री धर्मवीर सिंह द्वारा जारी गयी बरसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य आयोग सचनक ने आदेश दिनांक - 11.07.2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुरादाबाद पर जारी की सूचना उपलब्ध न करने के सम्बन्ध में कतिपय ₹0- 50000.00 का अर्पणित दिनांक 11-07-2018 को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के केवल से उक्त कतिपय धनराशि रुपये 50000-00 की कटौती हेतु डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर दृष्टा को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि के जमा के साक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर दृष्टा को अनुत्सार भेजित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर दृष्टा द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्पणित जमा न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशा) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र सं० 458 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर को अर्पणित जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद वर्तमान डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०)	शून्य

शून्य

						<p>वाणिज्य कर, इटावा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मा0 आयोग द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03.08.2021 के उपरांत आरोपित अर्थदण्ड रुपये 5000.00 की वसूली समाप्त करते हुये वाद निस्तारित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा कराने हेतु पुनः पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 तथा पुन- पत्र संख्या 337 दिनांक 31-05-22 व पत्रांक- 2221 दिनांक 31-03-23 व पत्रांक 1425 दिनांक 21.11.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है जमा प्रमाण प्राप्त होते ही साक्ष्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा। द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।</p>	
02	राज्य कर विभाग, मुसादाबाद जेन, मुसादाबाद	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यलय राज्य कर अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर	16-07-2018	₹0 25000.00	<p>अधिरोधित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के डि0कनि0 को इस स्तर से पत्र सं0 1153 दि0 01-03-2023 प्रेषित किये गये हैं।</p>	<p>अधिरोधित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जलकारी मिली है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है जो मा0 राज्य सूचना आयोग में लम्बित है। इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-2 नजीहाबाद महोदय को पत्रांक 801 दिनांक 17-02-2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यामूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, मेरठ महोदय को पत्र सं0 140 दि0 09-05-2014 व पत्र सं0- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्थदण्ड जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये हैं।</p>	शून्य

03	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि० कमि० (प्रशा०) वा०क० झांसी ।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त , ३०प्र० लखनऊ द्वारा भी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है ।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं०- 1/2482सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त ३०प्र० लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो अभी वर्तमान में लम्बित है ।
----	----------	--	------------	----------	----	----	--	--

नोट:- सयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, झांसी के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या-659/29.06.2024, 736/08.07.2024, 797/16.07.2024, 1445/28.09.2024 एवं 1952/22.11.2024 के माध्यम से श्रीमती सरिता सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि०अशा०) राज्य कर, गाजियाबाद तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वाणिज्य कर, झांसी को पत्र प्रेषित करते हुए मा० राज्य सूचना आयुक्त, ३०प्र० लखनऊ के समक्ष दायर अपील क्रमांक 104002 दिनांक 20.03.2018 को अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है ।

(कमलेश कुमार)

उपायुक्त(जनसूचना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।